# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

## पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-400RAAJodhpur2022-244RTA225 Sultan khan Vs Shakur khan etc

सुल्तान खां पुत्र श्री जबरू खां, जाति मुसलमान सिपाही,
निवासी- डेरियों की ढाणी, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

**ब**

**ना**

**म**

01. शकूर खां पुत्र जहूर खां
02. अफरोश पुत्र हासम खां
    जातियान् मुसलमान, निवासी- निम्बाड़ा, तहसील व जिला जोधपुर, राज।
03. मुमताज पुत्री जबरू खां
04. मोडी पुत्री जबरू खां
05. शबनम पुत्री जबरू खां
06. शमा पुत्री जबरू खां
07. शलमत पत्नी निजे खां उर्फ निजामदीन
    जातियान् मुसलमान, निवासीगण- डेरियों की ढाणी, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।
08. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 02 सितंबर 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 135/2022 सुल्तान खां बनाम शकूर खां इत्यादि**

---

उपस्थित-
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या आठ

## नि र्ण य

दिनांक : 20 नवंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 135/2022 अनवान सुल्तान खां बनाम शकूर खां इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 02 सितंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 08 सितंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 471 रकबा 11.6954 हैक्टेयर ग्राम डेरियों की ढाणी तहसील लोहावट के संबंध धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2022 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 सितंबर 2022 के जरिये अपास्त कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी विवादित भूमि का सहखातेदार काश्तकार है तथा अपनी सहखातेदारी की भूमि के उपयोग-उपभोग व प्रबंध करने का पूर्ण अधिकार अपीलार्थी को प्राप्त है, जिस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। विचारण न्यायालय में वाद घोषण हेतु लंबित है तथा प्रत्येंक इंच पर सहखातेदार का कब्जा काश्त है। बिना घोषणा व हिस्सा तय करवाये भूमि का आगे <u>बेचान/हस्तांतरण</u> नहीं किया जा सकता है। राजस्व रेकर्ड की आड. में तथा हिस्से तय नहीं होने के कारण रेस्पोडेंट्स द्वारा यदि वादग्रस्त आराजी का आगे

उपखण्ड अधिकारी

बेचान कर दिया जाता है तो अजनबी क्रेता बेचान की आड़ में विशेष भू-भाग पर कब्जा कर लेते है तथा अपीलार्थी को बेदखल कर देते है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपायी किया जाना नामुमकिन होगा। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने केस को बखूबी साबित किया था। रेस्पोडेंट्स द्वारा बिना जवाब प्रस्तुत किये आदेश 39 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। बिना जवाब प्रस्तुत किये आदेश 39 नियम 4 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते है। इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 सितंबर 2022 को खारिज फरमाया जावे एवं वाद के लंबित रहने तक वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सुस्पष्ट विधिक प्रावधानों के तहत विधिसम्मत आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में पूर्व से ही वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसकी अपील वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष विचाराधीन है। पूर्व वाद के लंबित रहते वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपीलांट को नया वाद लाने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। रेस्पो. की ओर से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त करवाने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी आराजी प्रतीत होती है। खातेदारी घोषणा के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी का तृतीय पक्षकार को हस्तांतरण किया जाता है अथवा उसे खुर्द-बुर्द किया जाता है तो नवीन पक्षकारान् का सृजन होने सें अनावश्यक मुकदमेबाजी बढना संभावित है। लिहाजा वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना न्याय हित में उचित है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते पूर्व में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को पूर्व वाद के विचाराधीन होने के तथ्य के आधार पर खारिज किया जाना पाया जाता है। रेस्पोडेंट्स द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलांट पूर्व में वाद में बतौर वादी संयोजित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक

राजस्व अपील प्राधिकारी

कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 135/2022 अनवान सुल्तान खां बनाम शकूर खां इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 02 सितंबर 2022 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ओमप्रकाश विश्नोई}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर